



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 248 /अका./का.प./2023

रायपुर, दिनांक 27/07/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'उन्नासवीं' बैठक शुक्रवार दिनांक 04.08.2023 को अपराहन 3.00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.07.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
(पृष्ठ क्र 01 से 06 तक)
टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.07.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. श्री गुणीश चंद्र शाकार, लैब टेक्नीशियन, सांख्यिकी अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 05,24,625.00 (रुपए पाँच लाख चौबीस हजार छः सौ पच्चीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: श्री गुणीश चंद्र शाकार, लैब टेक्नीशियन, सांख्यिकी अध्ययनशाला का दिनांक 30.06.2023 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप 2(i) सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 05,24,625.00 (रुपए पाँच लाख चौबीस हजार छः सौ पच्चीस मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

4. विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग सेवानिवृत्त/दिवंगत/धारणाधिकार कर्मचारियों के स्थानीय निधि संपरीक्षा से सातवें वेतनमान का निर्धारण उपरांत वेतन अंतर एरियर्स की कुल राशि रु. 24,65,227/- (रुपए चौबीस लाख पैंसठ हजार दो सौ सत्ताईस मात्र) भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप:-

1. छ.ग. शासन के उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, क पत्र क्रमांक एफ 5-1/2021/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06/10/2021 तथा वित्त विभाग के निर्देश 33/2021 पत्र क्रमांक 1365/एफ-01002199/एल-11-2/ब-4/चार अटल नगर दिनांक 17/12/2021 के अनुसार तथा माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2022 के अनुमोदन उपरांत सा.प्रशा के आदेश क्रं. 2243/सा. प्रशा./2022 दिनांक 07/06/2022 के अनुसार विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के माह जनवरी 2016 से अगस्त 2017 तथा जुलाई-2018 एवं अगस्त 2018 तथा सितम्बर 2017 से जनवरी 2018 के एरियर्स का भुगतान किया जाना है। तदनुसार तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग सेवानिवृत्त/दिवंगत/धारणाधिकार के ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें पूर्व में एरियर्स की राशि का भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें देय तिथि से गणनानुसार एरियर्स का भुगतान किया जाना है।
2. विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग सेवानिवृत्त/दिवंगत/धारणाधिकार कर्मचारियों को माह जनवरी 2016 से अगस्त-2017 तथा जुलाई 2018 एवं अगस्त 2018 एवं सितम्बर 2017 जनवरी 2018 का भुगतान किया जाना है।
3. आयकर सहित एरियर्स की कुल राशि रु. 24,65,227/- (अक्षरी रुपए चौबीस लाख पैंसठ हजार दो सौ सत्ताईस मात्र) भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क, सर्वर/वेबसर्वर और एंटीवायरस सर्वर AMC कार्य हेतु फर्म M/s. Sai Info Services, House No.-14, Phase-1, Shiva Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) के कार्यकाल में 01 वर्ष वृद्धि (दिनांक 13.03.2023 से दिनांक 12.03.2024 तक) एवं 10 प्रतिशत भुगतान में वृद्धि करते हुए प्रथम तिमाही (दिनांक 13.03.2023 से 12.06.2023 तक) की राशि रु. 2,92,050.00 के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क, सर्वर/वेबसर्वर और एंटीवायरस सर्वर AMC कार्य हेतु निविदा सूचना क्र. 59/Dev/2022 Raipur, Dated 29/01/2022 जारी किया गया था। निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले फर्म M/s. Sai Info Services, House No.-14, Phase-1, Shiva Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) को पत्र क्र. 327/विकास/2022 रायपुर, दिनांक 07.06.2022 के द्वारा दिनांक 13.03.2022 से 12.03.2023 तक 01 वर्ष के लिए कार्य हेतु आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म का कार्यकाल दिनांक 13.03.2023 को समाप्त हो चुका था। निविदा के शर्तों एवं अनुबंध के अनुसार कार्य संतोषजनक होने पर संबंधित फर्म के कार्यकाल को एक-एक वर्ष करके अधिकतम 4 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, उल्लेख है।


अतः संबंधित फर्म के कार्यकाल में दिनांक 13.03.2023 से दिनांक 12.03.2024 तक दर में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में आदेश जारी किया जा चुका है।

संबंधित फर्म को सर्वर एवं नेटवर्किंग AMC के लिए 01 वर्ष में कुल रु. 11,68,200.00 (ग्यारह लाख अड़सठ हजार दो सौ मात्र) का भुगतान किया जाना है। संबंधित फर्म को प्रथम तिमाही (दिनांक 13.03.2023 से 12.06.2023 तक) के अवधि के लिए रु. 2,92,050.00 (रुपए दो लाख बयानबे हजार पचास मात्र) का भुगतान किया जा चुका है।

अतः संबंधित फर्म के कार्यकाल में दिनांक 13.03.2023 से दिनांक 12.03.2024 तक 01 वर्ष के लिए वृद्धि करते हुए रु. 11,68,200.00 (ग्यारह लाख अड़सठ हजार दो सौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

6. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

आदेशानुसार,




कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 249 / अका./ का.प./ 2023

रायपुर, दिनांक 27/07/2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।



उप-कुलसचिव (अका.)



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

①

क्रमांक : 27 /अका./का.प./2023

रायपुर, दिनांक 04/07/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'अठहत्तरवीं' बैठक मंगलवार दिनांक 04.07.2023 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण

उपस्थित हुए:-

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति -अध्यक्ष

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| 1. डॉ. व्यास दुबे | - सदस्य | 7. डॉ. अमिताभ पाण्डेय | - सदस्य |
| 2. डॉ. रोहिणी प्रसाद | - सदस्य | 8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट | - सदस्य |
| 3. डॉ. ए.के. गुप्ता | - सदस्य | 9. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का | - सदस्य |
| 4. डॉ. आर.के. ब्रह्मे | - सदस्य | 10. श्री सत्यनारायण शर्मा | - सदस्य |
| 5. डॉ. राजीव चौधरी | - सदस्य | 11. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह | - सदस्य |
| 6. डॉ. अल्फारेखा सी. जेम्स | - सदस्य | | |

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव -सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31.05.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: संपुष्टि की गई।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31.05.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।
3. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 04.05.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: संपुष्टि की गई।

IQAC विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. NAAC द्वारा मूल्यांकन और प्रत्यायन, के लिए विश्वविद्यालय में पीयर टीम का दौरा 20 से 22 जुलाई, 2023 तक निर्धारित है, कार्यक्रम की जानकारी की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति के वेतनमान का निर्धारण के उपरांत वेतन अंतर के एरियर्स राशि रु. 1,13,39,437/- (रुपए एक करोड़ तेरह लाख उन्चालीस हजार चार सौ सैंतीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।
6. सामान्य मद खाता क्र. 3065373385 से परीक्षा मद खाता क्रमांक 10049590022 में राशि रु. 1,00,00,000.00 (रुपए एक करोड़ मात्र) स्थानांतरित किए जाने की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

2

7. वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2023-24 के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए प्रदान की गई अग्रिम राशि रु. 9,85,420/- (रुपए नौ लाख पच्चासी हजार चार सौ बीस मात्र) के समायोजन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

8. विश्वविद्यालय के 16 तृतीय/चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को प्रथम समयमान (क्रमांक 1 कर्मचारी को प्रथम समयमान एवं द्वितीय समयमान) वेतनमान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

9. विश्वविद्यालय के 28 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का 10 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत प्रथम समयमान वेतनमान (अधिसूचना क्रमांक 2890/सा.प्रशा./23 दिनांक 26.06.2023) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

10. विश्वविद्यालय के 114 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को देय प्रतिमाह भुगतान की नियमित स्थायी भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के 114 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को नियमित मासिक वेतन भुगतान करने की स्थायी स्वीकृति के साथ प्रतिमाह वेतन भुगतान के लिए कुलपति जी को अधिकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।

11. स्व. श्री कमला प्रसाद काछी, द्वितीय श्रेणी लिपिक, पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के आकस्मिक निधन होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 8,85,406.00 (रुपए आठ लाख पच्चासी हजार चार सौ छः मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2023 के कार्यवृत्त के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2023 के कार्यवृत्त के विषय क्रमांक 3, ग्रंथालय का वार्षिक बजट 2023-24 के पुनर्वियोजन विषय, पर प्रावधानित राशि रुपए 17.90 लाख (रुपए सत्रह लाख नब्बे हजार मात्र) के स्थान पर समिति द्वारा पुनर्वियोजन के लिए प्रस्तावित वार्षिक बजट रु. 64.00 लाख को रु. 70.00 लाख करने का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा जी द्वारा किया गया, जिसे परिषद् ने पूर्ण सहमति व अनुमोदन प्रदान करते हुए तदक्रम में ग्रंथालय समिति की कार्यवृत्त के अन्य बिन्दुओं का भी अनुमोदन किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के IIC (Institute Innovation Council) के वर्ष 2022-23 की तीसरी और चौथी तिमाही में आयोजन की प्रस्तावित श्रृंखला के क्रियान्वयन हेतु होने वाले व्यय की अनुमानित राशि रु. 3,00,000.00 (रुपए तीन लाख मात्र) के भुगतान हेतु बजट आबंटन सामान्य प्रशासन मद से किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27.06.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: सम्पुष्टि की गई।



सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. आगामी शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, आवेदन फार्म एवं अकादमिक स्कोर शीट के ड्राफ्ट के प्रारूप के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. डॉ. दिपेन्द्र सिंह, सहायक प्राध्यापक, फार्मसी संस्थान के कैरियर एडवांस स्कीम के तहत स्टेज 2 से 3 पर स्तरोनयन/पदोन्नति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: डॉ. दिपेन्द्र सिंह, सहायक प्राध्यापक, फार्मसी संस्थान को कैरियर एडवांस स्कीम के तहत स्टेज 2 से 3 पर स्तरोनयन/पदोन्नति का लाभ दिनांक 22.12.2017 से प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया।

4. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-8/2019/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29.06.2020 के अनुसार साक्षात्कार एवं चयन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-8/2019/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29.06.2020 को अंगीकृत किया गया।

5. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-8/2016/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19.04.2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों- अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 16 के अनुपालन में प्रत्येक स्थापना में संपर्क अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-8/2016/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19.04.2023 को अंगीकृत किया गया।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक No. F. 1-5/2006 (SCT) Date 8 March, 2019 के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, के पत्र क्रमांक 3148/आर 09/भा.स./2019/38-2, दिनांक 24.12.2019 के अनुसार विश्वविद्यालय में शिक्षकीय पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में रोस्टर आधारित आरक्षण का पालन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र में निहित निर्देशों के पालन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् ने आरक्षण रोस्टर के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिए -

(1) विश्वविद्यालय में शिक्षकीय पदों की सीधी भर्ती के पदों पर लागू होने वाले आरक्षण रोस्टर के संबंध में -

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F 1-5/2006(SCT) दिनांक 08.03.2019 के अनुसार विश्वविद्यालयों में शिक्षकीय पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कार्यवाही करने का निर्देश छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर, के पत्र क्रमांक 3148/आर.09/भा.स./2019/38-2 दिनांक 24/12/2019 द्वारा जारी किया गया है उक्त निर्देश के परिपालन में शिक्षकीय पदों के सीधी भर्ती के लिए विश्वविद्यालय को एक इकाई मानते हुए निम्नानुसार नियम बनाया जाता है:-

I. विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर, तैयार किये जाने वाला आरक्षण रोस्टर दिनांक 24/12/2019 एवं उसके बाद के वर्षों में भरे जाने वाले पदों पर लागू होगा।

II. प्रत्येक शिक्षक संवर्ग/कैडर को पृथक से एक इकाई माना जाएगा।

- III. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 रायपुर दिनांक 04/12/2012 द्वारा अधिसूचित अनुसूची-एक "सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों/संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर" के अनुसार रोस्टर बिन्दुओं का निर्धारण किया जाएगा।
- IV. रिक्त पदों पर आरक्षण रोस्टर बिन्दु क्रमांक (1) से लागू होगा।
- V. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-50/2005/उ.शि./31 रायपुर दिनांक 01/05/2006 में उल्लेखित विभागों के अनुसार शैक्षणिक पदों का क्रम निर्धारित किया जाएगा।
- VI. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का बैकलॉग पुराने रोस्टर के अनुसार ही निकालते हुए उनकी पूर्ति की जायेगी तथा भविष्य में भर्तियाँ प्रचलित रोस्टर अनुसार की जायेगी।
- VII. भविष्य में स्वीकृत होने वाले नवीन पदों को वर्तमान रोस्टर के निर्धारित बिन्दु के पश्चात पद स्वीकृति के दिनांक के आधार पर क्रम निर्धारित करते हुए उनके लिए आगामी रोस्टर बिन्दु निर्धारित किया जाएगा।
- VIII. दिनांक 24/12/2019 के पूर्व भर्ती हो चुके शिक्षकों के पद रिक्त होने पर वर्तमान रोस्टर के निर्धारित बिन्दु के पश्चात रिक्त दिनांक के आधार पर क्रम निर्धारित किया जाएगा तथा आगामी रोस्टर बिन्दु निर्धारित किया जाएगा।
- IX. अगर कोई दो या उससे अधिक विषयों के पदों की स्वीकृति/रिक्तता दिनांक समान हो तो उन्हें बिन्दु क्रमांक (5) में निर्धारित क्रमानुसार में व्यवस्थित कर रोस्टर निर्धारित किया जाएगा।
- X. विभाग द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक पदों (नियमित) एवं स्ववित्तीय पाठयक्रमों के स्वीकृत अस्थाई शैक्षणिक पदों पर अलग-अलग 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर लागू होगा।
- XI. रोस्टर सूची का बिन्दु का क्रम वरिष्ठता निर्धारण का आधार नहीं होगा।
- XII. सीधी भर्ती के शिक्षकीय पदों पर छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का वित्त निर्देश 21/2020 क्रमांक 372/260/वि./नि./चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29.07.2020 एवं वित्त निर्देश 22/2020 क्रमांक 375/260/वि./नि./चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.08.2020 लागू होगा।

उपरोक्त बिंदुओं का अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया गया कि उक्त बिंदुओं को विनियम के रूप में भी स्थापित किया जाए।

- (2) विश्वविद्यालय की सभी नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दर्ज आरक्षण याचिका क्रमांक S.L.P (C) 19668/2022 के अध्यक्षीन होंगी।
- (3) शिक्षकों की रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए रिक्त पदों के लिए (बैकलॉग पदों को छोड़कर) मॉडल रोस्टर का अनुमोदन किया गया।

भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. भौतिकी एवं एस्ट्रोफिजिक्स अध्ययनशाला के Staff Council के द्वारा Project fees under consultancy regulation के अंतर्गत प्राप्त शुल्क का वितरण के संबंध में लिए गए निर्णय का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

8. भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला द्वारा यूसिक विभाग में संचालित Skill Development Centre में प्रशिक्षणार्थियों के 30 दिनों के कौशल विकास प्रशिक्षण देने के संबंध में Staff Council के द्वारा निम्नानुसार लिए गए निर्णय के संबंध में विचार करना -
प्रवेश शुल्क (फीस) - विश्वविद्यालय छात्र-छात्राओं के लिए राशि रु. 1500/-
अन्य के लिए राशि रु. 2500/-

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

4

भू-विज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. B.Voc in Gem & Jewellery Professional Course में 10 से 20 सीट वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: B.Voc in Gem & Jewellery Professional पाठ्यक्रम में 10 से 20 सीट बढ़ाए जाने का अनुमोदन किया गया। बढ़ी हुई 10 सीटों पर 10+2 योग्यता वाले छात्रों को प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जाए किंतु इन रिक्त सीटों पर स्नातक स्तर के आवेदक First Come first serve के आधार पर भी प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। बढ़ाई जा रही सीटों के सापेक्ष पाठ्यक्रम शुल्क रु. 15000/- (रुपए पंद्रह हजार मात्र) होगा।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. एम.एस-सी. रसायन के Payment Seat के अंतर्गत शुल्क की राशि 20,000/- (रुपए बीस हजार मात्र) से 25,000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र) वृद्धि किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: रसायन अध्ययनशाला के स्टॉफ कौंसिल में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 2023-24 में एम.एस-सी. रसायन में प्रवेश प्राप्त करने वाले Payment Seat छात्र के फीस में निम्नानुसार वृद्धि किए जाने का अनुमोदन किया गया-

फीस	वर्तमान शुल्क	शुल्क वृद्धि
पेमेंट सीट	20,000/- प्रति सेमेस्टर	25,000/- प्रति सेमेस्टर

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 12.06.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

12. पं. रविशंकर शुक्ल मूर्ति चौक में ICICI Bank का A.T.M. स्थापित किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय परिसर में पं. रविशंकर शुक्ल मूर्ति चौक में पुराने निर्मित कक्ष को मरम्मत कर ICICI Bank का A.T.M. स्थापित करने, राशि रु. 2,000/- (रुपए दो हजार मात्र) मासिक संधारण शुल्क तथा विद्युत भार स्वयं ICICI Bank के द्वारा वहन किए जाने के शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. विश्वविद्यालय कैम्पस में वाई-फाई स्थापना देयक की शेष 25 प्रतिशत राशि रु. 10,71,149=00 (रुपए दस लाख इकहत्तर हजार एक सौ उनचास मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

14. विश्वविद्यालय कैम्पस में वाई-फाई स्थापना अतिरिक्त सामग्री देयक रु. 10,32,509=00 (रुपए दस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ नौ मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

उपाधि विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

15. छात्र जयानंद मोर्य को दीक्षांत समारोह के पूर्व Post Doctoral Fellowship हेतु उपाधि प्रस्तुत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना क्रमांक 3762, दिनांक 25.04.2023 के अनुक्रम में जारी किए गए उपाधि प्रमाण-पत्र की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

4

मूल विज्ञान केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. मूल विज्ञान केंद्र में पंचवर्षीय एकीकृत एम.एस-सी. पाठ्यक्रम में संचालित जीव विज्ञान संकाय-20 सीट एवं गणित संकाय-20 सीट निर्धारित है, में 10-10 सीट वृद्धि कर Payment Seat के तहत रु. 20,000/- (रुपए बीस हजार मात्र) शुल्क किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: सीट वृद्धि से संबंधित 20 सीटों पर प्रवेशित छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति प्रदान नहीं किए जाने के निर्णय के साथ प्रस्तावित सीट वृद्धि तथा शुल्क संरचना का अनुमोदन किया गया।

प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. अयोध्या शोध संस्थान, संस्कृति विभाग, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से MoU के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।


अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णयविकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-


1. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में 250 KVA का साइलेंट जनरेटर इंस्टालेशन पश्चात् फर्म M/s Ajay Enterprises, B/06, C-138, Priyadarshini Nagar, Near Airfair Service Center, Raipur (C.G.) के द्वारा प्रस्तुत क्रय देयक राशि रु. 23,65,158/- (रुपए तेईस लाख पैंसठ हजार एक सौ अठावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

2. यू.जी.सी. गार्ड लाईन के क्रम में विश्वविद्यालय में Professor of Practice & Visiting Professor के संबंध में विचार करना।

निर्णय: यू.जी.सी. गार्ड लाईन के क्रम में विश्वविद्यालय में Professor of Practice & Visiting Professor का रेगुलेशन बनाकर शीघ्र अनुमोदन प्राप्त किए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।
धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 28 /अका./का.प/2023

रायपुर, दिनांक 04/07/2023

प्रतिलिपि :-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
- कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'उन्नासवीं' बैठक शुक्रवार दिनांक 04.08.2023 को

अपराहन 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.08.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना। (पृष्ठ क्र 01 से 07 तक)
टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. राज्य शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 17/2023, आदेश क्रमांक 350/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 06.07.2023 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.07.2023 से सातवाँ वेतनमान में 33 प्रतिशत से बढ़ा कर 38 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 201 प्रतिशत से बढ़ाकर 212 प्रतिशत किए जाने संबंधी वित्त निर्देश को अंगीकृत करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

टीप: छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 17/2023, पत्र क्रमांक 350/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 06.07.2023 के परिपालन में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को निम्नानुसार अंगीकृत कर लिया गया है :-

वेतनमान	अवधिय जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवाँ वेतनमान	दिनांक 01.07.2023	5%	38%
छठवाँ वेतनमान	दिनांक 01.07.2023	11%	212%

उक्त वित्त निर्देश को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

3. राज्य शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 24/2023, आदेश क्रमांक 432/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 02.08.2023 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.08.2023 से सातवाँ वेतनमान में 38 प्रतिशत से बढ़ा कर 42 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत किए जाने संबंधी वित्त निर्देश को अंगीकृत करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

टीप: छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 24/2023, पत्र क्रमांक 432/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 02.08.2023 के परिपालन में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को निम्नानुसार अंगीकृत किया जाना है :-

वेतनमान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवाँ वेतनमान	दिनांक 01.07.2023	4%	42%
छठवाँ वेतनमान	दिनांक 01.07.2023	9%	221%

उक्त वित्त निर्देश को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

4. विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुनरीक्षित दरों (सातवाँ वेतनमान) के आधार पर पात्रतानुसार गृह भाड़ा भत्ता महंगाई भत्ता 25% होने पर 9% की दर से तथा महंगाई भत्ता 50% होने पर 10% की दर से शासन द्वारा जारी आदेश (2 अगस्त 2023) की तिथि से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्र. 430/558/वित्त/नि/चार/2023 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02.08.2023 (वित्त निर्देश 23/2023) के परिपालन में विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुनरीक्षित दरों (सातवाँ वेतनमान) के आधार पर पात्रतानुसार गृह भाड़ा भत्ता 25% होने पर 9% की दर से तथा महंगाई भत्ता 50% होने पर 10% की दर से शासन द्वारा जारी आदेश (2 अगस्त 2023) की तिथि से गृह भाड़ा भत्ता की स्वीकृति प्रदान किया जाना है। उक्त स्वीकृति प्रदान किए जाने पर 15,19,888/- (रुपए पंद्रह लाख उन्नीस हजार आठ सौ अठासी मात्र) अतिरिक्त व्यय भार अनुमानित है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

5. विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छठवे वेतनमान के आधार पर पात्रतानुसार गृह भाड़ा भत्ता में तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की गणना कर अंतर की राशि आयकर सहित रु. 7,24,065/- (रुपए सात लाख चौबीस हजार पैंसठ मात्र) के एरियर्स भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : 1. छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के वित्त निर्देश 19/2017, पत्र क्र. 226/एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19.05.2017 के परिपालन एवं विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 2896/सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 26.06.2023 द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पात्रतानुसार गृह भाड़ा भत्ता वेतन पुनरीक्षण के पहले की वेतन संरचना छठवें वेतनमान के आधार पर तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की गणना कर अंतर की राशि का एरियर्स भुगतान किया जाना है।

2. कुल एरियर्स की राशि आयकर सहित रु. 7,24,065/- (रुपए सात लाख चौबीस हजार पैंसठ मात्र) का एरियर्स भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

6. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के तहत प्राप्त प्रथम किश्त में से परियोजना संचालक को रु. 62,99,924/- (रुपए बासठ लाख निन्यानबे हजार नौ सौ चौबीस मात्र) की अग्रिम राशि भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के तहत विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रथम किश्त रु. 7,84,65,600/- (रु. 6,95,50,000/- non-recurring [equipment]; रु. 98,15,600/- Recurring [Project Staff, consumable, travel, overhead, seminal etc.]) का भुगतान किया जा चुका है।

विश्वविद्यालयके regulation 148 के प्रावधान अनुसार परियोजना के सुचारु एवं उचित संचालन के लिए उक्त राशि से अग्रिम राशि रु. 62,99,924/- ((ii) consumables- रु. 5,00,000/- + (iii) Travel - रु. 2,99,924/- + (iv) overhead - रु. 4,00,000/- (80%) + (v) seminar - रु. 6,00,000/-) (रुपए बासठ लाख निन्यानबे हजार नौ सौ चौबीस मात्र), Coordinator, DST-PURSE Project के बैंक खाते में भुगतान हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

7. विश्वविद्यालय से संबद्ध 30 महाविद्यालयों के पूरक परीक्षा 2023 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रु. 11,65,000/- (रुपए ग्यारह लाख पैंसठ हजार मात्र) प्रदान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय से संबंधित 30 महाविद्यालयों को पूरक परीक्षा 2023 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रु. 11,65,000/- (रुपए ग्यारह लाख पैंसठ हजार मात्र) प्रदाय किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

8. शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों के नियमित मासिक वेतन भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : 1. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 11/2018 के पत्र क्रमांक 114/एफ 2018-04-04081/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 14.03.2018 के द्वारा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 206(1) के अंतर्गत राज्य के शासकीय कर्मचारियों के मासिक वेतन (माह मार्च के वेतन को छोड़कर) का भुगतान माह के अंतिम कार्य दिवस में करने का प्रावधान है। संबंधित आदेश के अनुपालन में शासकीय कर्मचारियों के मासिक वेतन (मार्च माह के वेतन को छोड़कर) का भुगतान माह के अंतिम दो कार्य दिवसों में तथा माह मार्च के वेतन का भुगतान अगामी माह के प्रथम कार्य दिवस से किया जा रहा है।

2. विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्नानुसार संबंधित माह का नियमित भुगतान किया गया :-

i. मई-2023 कुल राशि रु. 3,76,91,556 दिनांक 31.05.2023 देयक क्र. 691-696

ii. जून-2023 कुल राशि रु. 3,79,44,470 दिनांक 30.06.2023 देयक क्र. 964-969

iii. जुलाई-2023 कुल राशि रु. 3,99,29,066 दिनांक 31.07.2023 देयक क्र. 1248-1253

3. विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियमित मासिक वेतन भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

9. दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के पारिश्रमिक भुगतान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय में कार्यरत 114 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को माह जून-जुलाई 2023 (दिनांक 26.06.2023 से 25.07.2023) तक का पारिश्रमिक राशि रु. 13,56,751.00 (रुपए तेरह लाख छप्पन हजार सात सौ इक्यावन मात्र) का भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

10. इंडियन बैंक के खाता क्रमांक 20246316970 में 2,40,000,00.00 (रुपए दो करोड़ चालीस लाख मात्र) का सावधि जमा 400 दिन के लिए किया गया है की सूचना ग्रहण करना।

11. दिनांक 31.07.2023 को कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षकों का वेतन जुलाई 2023 का वेतन भुगतान हेतु 5,50,000,00.00 (रुपए पाँच करोड़ पचास लाख मात्र) सावधि पूर्व भुगतान प्राप्त कर राशि सामान्य मद खाता क्रमांक 10049590033 राशि स्थानांतरित किया गया की सूचना ग्रहण करना।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. विश्वविद्यालय के 16 उद्यानों के वर्ष 2023-24 के वार्षिक रख-रखाव हेतु अनुमानित व्यय रु. 56.81 लाख (रुपए छप्पन लाख इक्यासी हजार मात्र) एवं इस हेतु निविदा जारी किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय में उपलब्ध कुल 16 उद्यानों के वार्षिक रख-रखाव हेतु छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2022 के अनुसार निविदा सूचना छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से प्रकाशित कराया जाना है।

उक्त उद्यानों के वर्ष 2023-24 के वार्षिक रख-रखाव हेतु अनुमानित व्यय रु. 56.81 लाख (रुपए छप्पन लाख इक्यासी हजार मात्र) होने की संभावना है। अतः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

13. 4 नग वाहन क्रय किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा पत्र क्र. एफ 5-2/2023/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22/06/2023 के द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर हेतु प्रतिस्थापना मद के अंतर्गत कुल 04 वाहन 01 नग वाहन रु. 9,54,008=00 (रुपये नौ लाख चौब्वन हजार आठ मात्र) एवं 03 नग वाहन रु. 7,81,634=00 प्रति नग की दर से कय हेतु कुल रु. 23,44,902 00 (रुपये तेइस लाख चौब्वालिस हजार नौ सौ दो मात्र) स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार कुल रु. 32,98,910 = 00 (रुपए बत्तीस लाख अंटानबे हजार नौ सौ दस मात्र) स्वीकृत किया गया है।

GeM Portal पर वाहन का दर निम्नानुसार है :-

वाहन का दर	जीएसटी 28 प्रतिशत	सेस 3 प्रतिशत	कुल दर कर सहित
रु. 9,54,008.00	रु. 2,67,122.24	रु. 28,620.24	रु. 12,49,750.00
रु. 7,81,634.00	रु. 2,18,857.52	रु. 23,449.02	रु. 10,23,940.00

उक्त स्वीकृत राशि में इंश्योरेंस चार्ज, एसेसरीज चार्ज एवं ट्रांसपोर्ट चार्ज शामिल नहीं है। प्रत्येक वाहन के लिए निम्नानुसार अनुमानित अतिरिक्त चार्ज अलग से देय होगा :-

वाहन प्रति नग कीमत	इंश्योरेंस चार्ज अनुमानित	एसेसरीज चार्ज अनुमानित	ट्रांसपोर्ट चार्ज अनुमानित	कुल कीमत प्रति नग	संख्या	कुल राशि
रु. 12,49,750.00	रु. 45,000=00	रु. 30,000=00	रु. 20,000=00	रु. 13,44,750=00	01	रु.13,44,750=00
रु. 10,23,940.00	रु. 40,000=00	रु. 30,000=00	रु. 20,000=00	रु. 11,13,940=00	03	रु.33,41,820=00
				कुल		रु. 46,86,570=00

अतः 04 नग वाहन कय हेतु छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय द्वारा स्वीकृत राशि रु.32,98,910=00 (रुपए बत्तीस लाख अंटानबे हजार नौ सौ दस मात्र) एवं जीएसटी, सेस एवं अनुमानित इंश्योरेंस चार्ज, एसेसरीज चार्ज एवं ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए अतिरिक्त राशि रु. 13,87,66000 (रुपए तेरह लाख सत्यासी हजार छः सौ साठ मात्र) के स्वीकृति एवं प्रस्तावित वाहन Government E-Marketing (GeM) से क्रय किए जाने के लिए माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. वर्ष 2023 की विभिन्न परीक्षा (वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2023, सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2023, CBS प्रवेश परीक्षा 2023) के गोपनीय मुद्रण हेतु अधिकृत फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रूपए 2,56,06,545=00 (रूपए दो करोड़ छप्पन लाख छः हजार पाँच सौ पैतालीस मात्र) भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : वर्ष 2023 की विभिन्न परीक्षा (वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2023, सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2023, CBS प्रवेश परीक्षा 2023) के गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अधिकृत फर्म, जिसको कार्यपरिषद् की सतहतरवीं बैठक दिनांक 31.05.2023 (पूरक विषय सूची क्रमांक-06) में अनुमोदन के फलस्वरूप अनुबंधित किया गया। संबंधित फर्म द्वारा कार्य संपादन किया गया। अनुबंधित फर्म द्वारा कार्य संपादन उपरांत राशि रूपए 2,56,06,545=00 (रूपए दो करोड़ छप्पन लाख छः हजार पाँच सौ पैतालीस मात्र) का देयक प्रस्तुत किया गया। जिसे विश्वविद्यालय गोपनीय विभाग द्वारा सत्यापित किया गया है। संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रूपए 2,56,06,545=00 (रूपए दो करोड़ छप्पन लाख छः हजार पाँच सौ पैतालीस मात्र) की भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

15. शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार को हिन्दी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।


टीप : शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार को हिन्दी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता दी गई थी। किंतु पदस्थ शोध निर्देशक के स्थानांतरण के पश्चात् विगत पाँच वर्षों से किसी भी शोधार्थी का पंजीयन नहीं किया गया है।

हिन्दी विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 31.07.2023 के निर्णयानुसार शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार को हिन्दी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक-107 की कंडिका-08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मानवविज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. "The Study for the Holistic Development of Special Tribal Group Pahadi Korwa in Jashpur District" विषय पर प्रोजेक्ट हेतु स्वीकृत बजट राशि रु. 38.60 लाख (रूपए अड़तीस लाख साठ हजार मात्र) में से रु. 19.30 लाख (रूपए उन्नीस लाख तीस हजार मात्र) विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई, जिसमें से दिनांक 31.07.2023 को अध्यक्ष, मानवविज्ञान अध्ययनशाला को अग्रिम राशि के रूप में प्रथम किश्त की राशि रु. 5.00 लाख (रूपए पाँच लाख मात्र) के हस्तांतरित हो चुकी है। शेष राशि रु. 13.30 लाख की अग्रिम राशि प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : डॉ. अशोक प्रधान, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, मानवविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा Project Nodal Officer के रूप में UNICEF Chhattisgarh के तकनीकी सहयोग एवं MCCR Trust Chhattisgarh के समन्वय में "The Study for the Holistic Development of Special Tribal Group Pahadi Korwa in Jashpur District" विषय पर प्रोजेक्ट प्रपोजल Dr. Ravi Mittal (IAS) Collector & District Magistrate, District Jashpur, (C.G.) को दिनांक 12.04.2023 को प्रेषित किया गया था। जिसकी स्वीकृति दिनांक 23/06/2023 को प्राप्त हुई है।



इस प्रोजेक्ट हेतु स्वीकृत बजट राशि रु. 38.60 लाख (रुपए अड़तीस लाख साठ हजार मात्र) में से रु. 19.30 लाख (रुपए उन्नीस लाख तीस हजार मात्र) विश्वविद्यालय को दिनांक 26.06.2023 को प्राप्त हुई है। जिसमें से दिनांक 31.07.2023 को अध्यक्ष, मानवविज्ञान अध्ययनशाला से अग्रिम राशि के रूप में प्रथम किश्त की राशि रु. 5.00 लाख (रुपए पाँच लाख मात्र) के हस्तांतरित हो चुकी है। अतः रु. 19.30 में से रु. 5.00 लाख की राशि घटाकर शेष राशि रु. 13.30 लाख (रुपए तेरह लाख तीस हजार मात्र) अग्रिम राशि प्रदान करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मूल विज्ञान केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. एम.एस-सी. पाठ्यक्रम के पेमेंट सीट में प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमानुसार काउंसिलिंग के माध्यम से किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : मूल विज्ञान केंद्र में पूर्व में 40 सीटों में प्रवेश दिया जा चुका है, दिनांक 04.07.2023 को कार्यपरिषद् द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार मूल विज्ञान केंद्र में पंचवर्षीय एकीकृत एम.एस-सी. पाठ्यक्रम में संचालित जीव विज्ञान संकाय-20 सीट एवं गणित संकाय-20 सीट निर्धारित है, में 10-10 सीटों में वृद्धि की गई है। पेमेंट सीटों में प्रवेश छ.ग. शासन के आरक्षण नियमानुसार दिया जाना प्रस्तावित है। आरक्षण उपरांत सीट रिक्त होने की स्थिति में इन सीटों को सामान्य वर्ग द्वारा भरे जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

18. वर्ष 2021 एवं 2022 में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के संविदा में नियुक्ति किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : वर्ष 2021 एवं 2022 में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को संविदा में नियुक्त किया जाकर अध्यापन कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। तत्संबंध में संविदा हेतु प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

19. विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के वेतन विसंगति के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के अनुसार विश्वविद्यालय के सेटअप में संशोधन किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : विषयांतर्गत विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के विश्वविद्यालय में स्वीकृत सेटअप में वेतनमान एवं छ.ग. शासन शासन के अन्य विभागों में स्वीकृत सेटअप में वेतनमान में विसंगतियां हैं।

निम्न कर्मचारियों के वेतनमान में विसंगतियां हैं :-

नाम	वेतनमान	विसंगतियों का विवरण
श्री चंद्रप्रकाश राठौर टेक्नीशियन ग्रेड 3	4000-6000 पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200+2400	वि.वि. सेटअप में टेक्नीशियन ग्रेड 3 एवं टेक्नीशियन ग्रेड 2 का वेतनमान एवं योग्यता मापदण्ड समान है।
श्रीमति ममता बंछोर ए.एन.एम	5200-20200+1900 ग्रेड वेतन पुनरीक्षित वेतनमान	5200-20200+2200 ग्रेड वेतन छ.ग. शासन के अन्य विभागों में स्वीकृत है।
श्री मनोज कुमार निर्मलकर ड्रेसर, हेल्थ सेंटर	4750-7440+1300 ग्रेड वेतन पुनरीक्षित वेतनमान	5200-20200+1800 ग्रेड वेतन छ.ग. शासन के अन्य विभागों में स्वीकृत है।

कमलेश इलेक्ट्रीशियन	चंद्राकर,	5200-20200 +1900 पुनरीक्षित वेतनमान	5200-20200+2400 ग्रेड वेतन छ.ग. शासन के अन्य विभागों में स्वीकृत है ।
------------------------	-----------	--	---

कृपया प्रकरण वेतन विसंगति के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को विश्वविद्यालय के सेटअप में संशोधन हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

20. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के स्वास्थ्य अधिकारी के पद के विरुद्ध संविदा नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

टीप : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित स्वास्थ्य अधिकारी के पद के विरुद्ध संविदा नियुक्ति के संबंध में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.03.2023 के पूरक विषय सूची क्रमांक 03 में प्रस्ताव अनुमोदित कर छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। तदनुसार उक्त के परिपेक्ष्य में छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक 568/305/2023/38-2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 05.07.2023 के द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.) में स्थित स्वास्थ्य अधिकारी के पद के विरुद्ध संविदा नियुक्ति के संबंध निम्नांकित जानकारी चाही गई है :-

1. विश्वविद्यालय के सेटअप में स्वास्थ्य अधिकारी का पद स्वीकृत करने का औचित्य क्या है ?
2. विचारोपरांत संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की जाती है।

स्वास्थ्य अधिकारी के पद का औचित्य :- विश्वविद्यालय के सेटअप में स्वास्थ्य अधिकारी के 01 पद स्वीकृत है। विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के प्रारंभिक ईलाज एवं विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/शिक्षकों एवं कर्मचारियों के ईलाज, चिकित्सा परामर्श (ओ.पी.डी.) एवं विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए ब्लड टेस्ट (पैथालाजी टेस्ट) सुविधा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति मेडिकल बिल के परीक्षण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, समय समय पर स्वास्थ्य शिविर के आयोजन, रिफरल सुविधा के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य अधिकारी का पद आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। तदनुसार औचित्य सहित प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

21. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, के पत्र क्रमांक 428/एफ-2019-53-01932/वि/नि/चार वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02.08.2023 को अंगीकृत कर विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा शिक्षक/कर्मचारियों का संविदा वेतन दिनांक 01.07.2023 से या पदभार ग्रहण की तिथि से जो भी तिथि बाद में हो से स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, के पत्र क्रमांक 428/एफ-2019-53-01932/वि/नि/चार वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02.08.2023 के द्वारा विभिन्न पदों पर एकमुक्त संविदा वेतन का निर्धारण कर दिनांक 01.07.2023 से प्रभावशील किया गया है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में निम्नलिखित पदों पर संविदा पर शिक्षक/कर्मचारी कार्यरत है:-

क्रमांक	पदनाम	संविदा नियुक्ति के पद का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स में लेवल	संविदा मासिक वेतन
1	सहायक प्राध्यापक	12	51780
2	रिसर्च असिस्टेंट	8	32675

3	प्रोफेशनल असिस्टेंट	7	26490
4	लैब टेक्नीशियन	6	23350
5	निम्न वर्ग लिपिक	4	18000

अतः छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, के पत्र क्रमांक 428/एफ-2019-53-01932/ वि/नि/चार वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02.08.2023 को अंगीकृत करते हुए, विश्वविद्यालय में उपरोक्त पदों पर कार्यरत संविदा शिक्षक/कर्मचारियों का उपरोक्तानुसार संविदा वेतन दिनांक 01.07.2023 से या पदभार ग्रहण की तिथि से जो भी तिथि बाद में हो से स्वीकृति के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मानव संसाधन विकास केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

22. **HRDC की Academic Advisory Committee की बैठक दिनांक 19.06.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।** (पृष्ठ क्र. 08 से 11 तक)

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।

बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

23. सत्र 2023-24 के लिए एम.एस-सी बायोटेक्नोलॉजी के प्रथम सेमेस्टर में 15 अतिरिक्त पेमेंट सीटों पर प्रवेश की अनुमति के संबंध में विचार करना।

टीप : छात्रों के अत्यधिक रुझान को ध्यान में रखते हुए, इस अध्ययनशाला में संचालित एम.एस-सी बायोटेक्नोलॉजी के प्रथम सेमेस्टर में 15 अतिरिक्त पेमेंट सीटों पर प्रवेश के लिए अनुमति चाही गई है। यह अनुमति केवल सत्र 2023-24 के लिए ही लागू किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

24. अन्य विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट कार्य एवं लघुशोध प्रबंध निष्पादित करने हेतु वर्तमान में प्रचलित शुल्क रूपये 5000.00 मात्र प्रति माह को बढ़ाकर रूपये 7000.00 मात्र प्रति माह करने के संबंध में विचार करना।

टीप : इस अध्ययनशाला द्वारा सत्र 2016 से दुसरे विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट कार्य एवं लघुशोध प्रबंध निष्पादित करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इस कार्य के लिए प्रति विद्यार्थी से प्रति माह रूपये 5000.00 मात्र (रूपये पाँच हजार मात्र) शुल्क लिया जाता है। अभी तक कुल 122 विद्यार्थियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है, जिनसे शुल्क के रूप में तकरीबन 13.00 लाख रूपये इस अध्ययनशाला/विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में सभी तरह के रसायनों एवं अन्य प्रायोगिक सामग्रियों की कीमतों में 50 से 60 प्रतिशत तक की वृद्धि हुयी है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस अध्ययनशाला के स्टाफ कौंसिल द्वारा (बैठक दिनांक 31 मार्च 2023 में) यह निर्णय लिया गया है कि इस कार्य के लिए वर्तमान में प्रचलित शुल्क रूपये 5000.00 मात्र प्रति माह को बढ़ाकर रूपये 7000.00 मात्र प्रति माह किया जाए हेतु अध्ययनशाला के स्टाफ कौंसिल के द्वारा लिए गए शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

25. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

30/08/23
11/8/23
कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 297 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2023

रायपुर, दिनांक 03 / 08 / 2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 03.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
3. डॉ. आर.के. ब्रह्मे	—	सदस्य
4. डॉ. व्यास दुबे	—	सदस्य
5. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	—	सदस्य
6. डॉ. राजीव चौधरी	—	सदस्य
7. डॉ. संजय जे. डहरवाल	—	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	—	सदस्य
9. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे	—	सदस्य
10. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
11. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
12. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 30.05.2023 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: सम्पुष्टि की गई।

02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 30.05.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र
i	शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर	M.Sc.-I/II Sem. Botany	20	2023-24
		PGDCA	40	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र
ii	शासकीय माता कर्मा कन्या महावि. महासमुंद	M.S.W.	20	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
iii	श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर	M.Sc. I/II Sem.- Chemistry	30	2023-24
		M.A. I/II Sem.-Economics	50	
		M.A. I/II Sem.- Political Science	50	
		M.Com. I/II Sem.	30	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
iv	शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, रायपुर	B.Com. III year Computer Application (Self Financing)	50	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
v	शासकीय खेमचंद लक्ष्मीचंद महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला-महासमुंद	PGDCA	40	2023-24
		B.A.-I English Literature, Geography	250	
		M.Sc. I/II Sem. Maths	25	
		M.Sc. I/II Sem. Botany	25	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
vi	बाबू पंढरी राव कृदत्त शासकीय महाविद्यालय, सिलौटी, जिला-धमतरी	M.A.-I/II Sem. Gorgaphy	30	2023-24
		B.Sc.-I- Bio Group. - Botany, Zoology, Chemistry	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
vii	शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर	B.A.LL.B- I year- (Five years integrated Course)	120	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
viii	नवीन शासकीय महाविद्यालय, अमलीडीह, जिला-रायपुर	बी.ए. (कला संकाय) प्रथम वर्ष - आ.पा.- हिंदी एवं अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र	90	2023-24
		बी.सी.ए. प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	60	
		बी.बी.ए.-प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	40	
		बी.काम. (वाणिज्य संकाय) प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	90	
निर्णय: शासन द्वारा बी.बी.ए.-60 सीट की स्वीकृति प्रदान की गई है। अध्यादेश क्रमांक 91 के अनुसार 40 सीट प्रदान करने की अनुशंसा की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि शासन को इस तथ्य से अवगत कराया जाए तथा निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

04. जयहिन्द महाविद्यालय, महासमुंद में संचालित बी.बी.ए. एवं बी.कॉम. पाठ्यक्रम को बंद करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: परीक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार महाविद्यालय में सत्र 2019-22 तक छात्रों का प्रवेश निरंक है। महाविद्यालय द्वारा उक्त अवधि में प्रतिवर्ष के क्रम में सम्बद्धता शुल्क भी जमा किया जा रहा है। उक्त स्थिति के सापेक्ष समिति ने महाविद्यालय की सम्बद्धता वापस लिए जाने की अनुशंसा की एवं कार्यपरिषद् के अनुमोदन के पश्चात् शासन को महाविद्यालय बंद करने हेतु पत्र प्रेषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
05. डी.लिट् उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् उसी विषय में नवीन शीर्षक के साथ फिर से डी.लिट् उपाधि हेतु पंजीयन के संबंध में विचार करना।
निर्णय: डी.लिट् उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् उसी विषय में नवीन शीर्षक के साथ फिर से डी.लिट् उपाधि हेतु समिति के गठन की अनुशंसा की गई, जो अपना प्रतिवेदन 31.08.2023 तक प्रस्तुत करेंगे। समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं -
(1) डॉ. आशिष कुमार श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय
(2) डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय
(3) डॉ. एस.जे. डहरवाल, संकायाध्यक्ष, टेक्नोलॉजी संकाय
06. सत्र 2023-24 में नवीन कक्षा/विषय एवं सीट संख्या में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल में इंद्राज किए जाने हेतु जारी पत्र के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।
निर्णय: उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के आदेशानुसार सत्र 2023-24 में नवीन कक्षा/विषय एवं सीट संख्या में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल में इंद्राज किए जाने हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयों को जारी पत्र का सूचना ग्रहण कर, विश्वविद्यालय परिनियम 27 के अनुसार सम्बद्धता की कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	वि.वि. पत्र क्र. एवं दिनांक
1.	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय गरियाबंद	बी.ए. (कला संकाय) प्रथम वर्ष - आ.पा.-हिन्दी एवं अंग्रेजी, राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास	90	क्रमांक: 2176/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक : 28/06/2023
		बी.एस.सी. (विज्ञान समूह) प्रथम वर्ष- आ.पा.-हिन्दी एवं अंग्रेजी, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र	45	
		बी.एस.सी. (गणित समूह) प्रथम वर्ष- आ.पा.-हिन्दी एवं अंग्रेजी, रसायनशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र	45	
		बी.कॉम. (वाणिज्य संकाय) प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	90	
2.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, अमलीडीह जिला- रायपुर	बी.ए. (कला संकाय) प्रथम वर्ष - आ.पा.-हिन्दी एवं अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र	90	क्रमांक: 2176/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक : 28/06/2023
		बी.सी.ए. प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	60	
		बी.बी.ए. प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	60	

		बी.कॉम. (वाणिज्य संकाय) प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	90	
3.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, माना कैम्प, रायपुर जिला- रायपुर	बी.ए. (कला संकाय) प्रथम वर्ष - आ.पा.-हिन्दी एवं अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास	90	क्रमांक: 2176/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 28/06/2023
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष- कम्प्यूटर साईंस	45	
		बी.एस.सी. (गणित समूह) प्रथम वर्ष- आ.पा.-हिन्दी एवं अंग्रेजी, रसायनशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र	45	
		बी.कॉम. (वाणिज्य संकाय) प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	90	
4.	डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर सत्र 2023-24	M.Sc. I/II Sem.- Chemistry	20	क्रमांक: 38/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 05/07/2023
		M.Sc. I/II Sem.- Botany	20	
5.	स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना जिला- महासमुंद सत्र 2023-24	B.Sc.-I- Maths Group- Physics, Maths	60	क्रमांक: 83/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 12/07/2023
6.	स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना जिला- महासमुंद सत्र 2023-24	PGDCA	30	क्रमांक: 242/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक: 27/07/2023
7.	श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय, गोबरा-नवापारा जिला- रायपुर सत्र 2023-24	M.A. I/II Sem.- Economics	50	क्रमांक: 91/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 12/07/2023
		M.A. I/II Sem.- Political Science	50	
		M.Com. I/II Sem.	30	
		M.Sc. I/II Sem.- Chemistry	30	
8.	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद सत्र 2023-24	B.A. I- (F.C.- Hindi, English), English Literature, Sociology, Economics, Political Science.	90	क्रमांक: 130/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक: 16/07/2023
		B.Sc.-I- (Maths Group)- (F.C.- Hindi, English), Physics, Chemistry, Maths.	60	
		B.Sc.-I- (Computer Science)- (F.C.- Hindi, English), Maths, Computer, Physics.	60	
		B.Com.-I- Computer Science.	60	
9.	शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग जिला-	B.A. I- Hindi Literature, English Literature.	200	क्रमांक: 136/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 16/07/2023

	गरियाबंद (छ.ग.) सत्र 2023-24			
10.	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.S.W. I/II Sem.	20	क्रमांक: 187/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक : 20/07/2023
11.	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.Com. I/II Sem.	30	क्रमांक: 156/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक : 18/07/2023
12.	स्व. रामनाथ वर्मा शासकीय महाविद्यालय, मोपका-निपनिया जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) सत्र 2023-24	B.Sc. I- Botany, Zoology.	90	क्रमांक: 158/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक : 18/07/2023
13.	संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद जिला- धमतरी (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.Sc. I/II- Information Technology (IT)	20	क्रमांक: 152/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक : 18/07/2023
14.	सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा जिला- रायपुर (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.Sc. I/II- Maths	20	क्रमांक: 185/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक : 20/07/2023
15.	स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली जिला- महासमुंद (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.A. I/II Sem.- English (Self finance) M.Sc. I/II Sem.- Zoology (Self Finance)	30 30	क्रमांक: 252/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक: 27/07/2023
16.	शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय, बीरगाँव जिला- रायपुर (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.A. I/II Sem.- Sociology	40	क्रमांक: 265/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक: 31/07/2023
17.	बाबू पंढरी राव कृदत्त शासकीय महाविद्यालय, सिलौटी जिला- धमतरी	B.Sc.I- Botany, Zoology M.A. I/II Sem.- Geography	90 30	क्रमांक: 111/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक: 14/07/2023

07. निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश सत्र 2023-24 के लिए प्रदान करने हेतु प्रकरण स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय, बीरगाँव जिला- रायपुर
2	डॉ. भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय, बलौदा, जिला-महासमुंद
3	शासकीय नवीन महाविद्यालय, चिरको जिला- महासमुंद
4	शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर
5	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुढियारी जिला- रायपुर
6	शहीद राजीव पाण्डेय शासकीय महाविद्यालय, भाटागाँव जिला- रायपुर

7	शासकीय कला/वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर
8	भक्त माता कर्मा शासकीय महाविद्यालय, समोदा जिला- रायपुर
9	स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शास. महा. सरायपाली, जिला-महासमुंद
10	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, गोबरा नवापारा जिला- रायपुर
11	शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर
12	गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार
13	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महा. धरसीवां रायपुर सत्र 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय, सामरवार, दुर्गापुर, जशपुर (छ.ग.)
2	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा. नवापारा (राजिम) जिला-रायपुर (छ.ग.)
3	महंत लक्ष्मी नाराण दास महा. रायपुर (छ.ग.)
4	विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
5	जेनेसिस कॉलेज आफ हायर एजुकेशन, सिहावा रोड, धमतरी (छ.ग.)
6	जय हिंद महाविद्यालय, लोहानी बिल्डींग, महासमुंद (छ.ग.)
7	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-581, ग्राम-पचेडा तह.- अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
8	दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
9	बी.आई.टी. कॉलेज ऑफ कामर्स, साइंस, मैनेजमेंट एण्ड आर्ट्स, अभनपुर रोड, केन्द्री, नवा रायपुर
10	विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सिलेंस (कॉलेज डिवीजन) रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.)
11	सेंट्रल कॉलेज आफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.)
12	सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
13	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्राम- पचेडा जिला- रायपुर
14	स्वामी अजय गुरुदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी ग्राम- मुड़पार, पो.- खरोरा, तह.- तिल्दा, जिला- रायपुर
15	महात्मा गाँधी महाविद्यालय स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)
16	कमलाकांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, प्लॉट नं. 2661/24, देवरी, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
17	अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.)
18	कोपल वाणी श्रवण बाधित महाविद्यालय, पं. सुंदर लाल शर्मा स्कूल परिसर, सुंदर नगर, रायपुर
19	दिशा विधि महाविद्यालय, सत्य विहार, विधानसभा चंद्रखुरी मार्ग, रायपुर
20	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, कचना रोड, रायपुर (छ.ग.)
21	स्पेक्ट्रम कालेज ऑफ एजुकेशन, खसरा नं.-1234, ग्राम+पोस्ट-नरदहा, तह.-आरंग, रायपुर
22	के.डी. रूंगटा कालेज आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वीरसावरकर नगर, अटारी, रायपुर
23	दिशा कालेज, दिशा पार्क बिल्डिंग नं. 1 फर्स्ट फ्लोर, चिरुडीह, रामनगर, कोटा मार्ग, रायपुर
24	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पचेडा, अभनपुर, जिला-रायपुर
25	श्रृष्टि कॉलेज आफ आई.टी. एंड मैनेजमेंट, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)(सत्र 2022-23 एवं 2023-24)
26	ओम श्री साई नाथ विद्यालय परसतराई (धरसीवां), जिला-रायपुर (छ.ग.)
27	महर्षि दयानंद संस्कृत महाविद्यालय, कोसरंगी जिला- महासमुंद

निर्णय: उपर्युक्त महाविद्यालयों को अंकित सत्र अनुसार अस्थायी वार्षिक संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

08. आवेदक नितिन के स्नातक उपाधि बी.ए. (ऑनर्स) भूगोल, कला संकाय एवं विज्ञान संकाय से स्नातकोत्तर में एम.एस-सी. भूगोल उत्तीर्ण होने के पश्चात् भूगोल विषय में पी-एच.डी. हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

09. विश्वविद्यालय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना -

- (i) M.A.- Political Science
- (ii) M.A.- Public Administration
- (iii) M.A.- Yoga
- (iv) M.Sc.- Renewable Energy Technology
- (v) M.Tech.- Microelectronics & VLSI Design
- (vi) P.G. Diploma in Fashion Design & Garment Technology

निर्णय: विश्वविद्यालय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई-

- (i) M.A.- Political Science
- (ii) M.A.- Public Administration
- (iii) M.A.- Yoga
- (iv) M.Sc.- Renewable Energy Technology
- (v) M.Tech.- Microelectronics & VLSI Design
- (vi) P.G. Diploma in Fashion Design & Garment Technology
- (vii) M.A. Women Studies

साथ ही विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. महाविद्यालय हेतु निर्मित निरीक्षण समिति प्रतिवेदन को संशोधन करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: महाविद्यालय हेतु निर्मित निरीक्षण समिति प्रतिवेदन को संशोधन हेतु समिति के गठन किए जाने की अनुशंसा की गई, समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं -


- (1) डॉ. एस.जे. डहरवाल, संकायाध्यक्ष, टेक्नोलॉजी संकाय
- (2) श्री सनत कुमार वर्मा, उप कुलसचिव, अकादमिक विभाग


02. एम.ए. तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा तथा मूल विज्ञान केंद्र में संचालित बायोलॉजी पाठ्यक्रमों के नाम परिवर्तन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: एम.ए. तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा तथा मूल विज्ञान केंद्र में संचालित बायोलॉजी पाठ्यक्रमों के नाम परिवर्तन के संबंध में समीक्षा हेतु समिति के गठन की अनुशंसा की गई, जो अपना प्रतिवेदन 31.08.2023 तक प्रस्तुत करेंगे। समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं -

- (1) डॉ. शैल शर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय
- (2) डॉ. आर.के. ब्रह्मे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय
- (3) डॉ. अदिती पोद्दार, संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय
- (4) डॉ. एस.जे. डहरवाल, संकायाध्यक्ष, टेक्नोलॉजी संकाय

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 298 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2023
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 03 / 08 / 2023

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा / सामान्य प्रशासन / स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)

2)

**UGC - Human Resource Development Centre
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur**


Minutes of the Academic Advisory Committee Meeting

The meeting of the **Academic Advisory Committee** of UGC-Human Resource Development Centre, Pt. Ravishankar Shukla, Raipur was held on **June 19, 2023 from 12.00 noon** onwards in the board room of HRDC-PRSU.

The following members were present in the meeting.

Prof. Sachchidanand Shukla Vice Chancellor Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur	Chairperson
Prof. N. Nagaraju Vice Chancellor GM University, Sambalpur	Member (Online)
Prof. M. K. Verma Vice Chancellor Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai	Member
Prof. A.M. Rawani UGC Nominee Former Director, National Institute of Technology, Raipur	Member
Prof. R.T. Bedre Director UGC-HRDC Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar	Member
Prof. B.S. Thakur SoS in Mathematics Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur	Member
Dr. Amitabh Banerjee Principal Govt. J. Yoganandam Chhattisgarh College, Raipur	Member
Representative of Registrar Shri. Narendra Verma Deputy Registrar Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur	Special Invitee
Mr. Akhilesh Singh Tawar Finance Controller Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur	Special Invitee
Prof. Preeti K. Suresh Director UGC-HRDC, PRSU, Raipur Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur	Member Secretary


19/6/23


19/06/2023

The leave of absence was granted to Prof. Munruchi Kaur and Prof. Maya Verma. At the outset the Member Secretary extended a welcome to the Hon'ble Chairperson and all the members of the Academic Advisory Committee.

At the outset, the Member Secretary welcomed the Hon'ble Chairperson and Members of the Academic Advisory Committee. The Chairperson with his opening remarks briefed on the developments and the progress of the HRDC during the last one year. He also urged upon all the members of the AAC of the HRDC to share their expertise for enrichment of the HRDC.

During the meeting, the agenda items discussed as follows:

MINUTES OF THE MEETING

SECTION – 1 (GENERAL AND ACADEMIC MATTERS)

Item No. 1.1

Confirmation of the minutes of the meeting of AAC held on 18.05.2022

The minutes of the meeting of Academic Advisory Committee held on 18.05.2022 were confirmed.

Item No. 1.2

Compliance report on the minutes of AAC held on 18.05.2022

The Committee noted the Compliance and the Action Taken Report of the AAC Meeting held on 18.05.2022.

Item No. 1.3

Reporting of minutes and Action Taken of Staff Council Meetings

The Committee noted and approved the Action Taken Report of the minutes of Staff Council meetings held on the following dates:

- (i) May 21, 2022
- (ii) July 15, 2022
- (iii) October 15, 2022
- (iv) February 16, 2023
- (v) May 15, 2023
- (vi) June 05, 2023

Item No. 1.4

Reporting of the program organized during 2022-2023

The Committee noted the various programs organized during 2022-2023. It was informed that four Faculty Induction Programs (Gurudakshita), eight Refresher Courses and One Workshop was conducted during 2022-23.

Munruchi Kaur
19/6/23

Meeta
19/06/2023

Item No. 1.5

To note Continuance of the UGC schemes

The Committee took note of the UGC public notice F. NO. 1-8/2016 (CPP-II) dated 28.05.2023 wherein the schemes including HRDC has been extended up to 31.03.2024.

Item No. 1.6

Information of the program approved by UGC for the session 2023-24

The members were apprised of the programs sanctioned by UGC to be conducted by HRDC, PRSU, Raipur during the academic session 2023-24. It was informed that in addition to these, webinars and workshops will be conducted on key initiatives undertaken by UGC to implement the National Education Policy 2020. It was further suggested to organize reskilling programs for the non-teaching and teaching staff of the University and affiliated colleges.

Item No. 1.7

CAS promotion for Academic staff of HRDC

The committee noted and recommended the CAS promotion for academic staff as per the provisions of UGC guidelines after examination and review.

SECTION -2 (FINANCIAL MATTERS)

Item No. 2.1

Information about the expenditure during the year 2022-23

The Committee noted and approved the expenditure during the year 2022-23.

Item No. 2.2

Reporting of Statement of Expenditure and Utilization Certificate for the year 2022-23

The Committee noted and approved the Statement of Expenditure and Utilization Certificate for the year 2022-23 as circulated in the meeting. It was also noted that the duly audited Utilization Certificate has been forwarded to UGC on June 16, 2023.

Item No. 2.3

Reporting of the UGC grant letter received regarding the release of remaining grant for the year 2022-23 to HRDC


The Committee noted the grants received from UGC for the adjustment of 2022-23 accounts as follows:


1. Rs. 3040000=00 (Rs. Thirty lakh forty thousand only) for the year 2022-23 and released Rs. 3040000=00 (Rs. Thirty lakh forty thousand only).
2. The UGC, New Delhi had sanctioned and released a grant of Rs. 320000=00 (Rs. Three lakh twenty thousand only) for the year 2022-23.
3. The UGC, New Delhi had sanctioned and released a grant of Rs. 640000=00 (Six lakh forty thousand only) for the year 2022-23 as circulated in the Book of Enclosure.

Item No. 2.4

Information about the registration fee charges received from the participants during the year 2022-2023

The Committee noted that the registration fees of Rs. 1000=00 for programs organized online during the year 2022-23 were deposited by each participant through online mode to the


19/6/23


19/06/2023

HRDC Saving Account (SBI, PRSU, Raipur) and the total amounted to Rs. 468006.00 (Rs. Four Lakh, sixty eight thousand and six) as per the enclosure of the bank statement.

SECTION -2 (MISCELLANEOUS)

Item No. 3.1


Release of HRDC Newsletter

The second issue of the annual HRDC Newsletter was formally released. It was shared with the members that from the next issue onwards the frequency of the newsletter will be increased by making it a biannual newsletter.

Item No. 3.2

Any other matter with the permission of the Chair

The members suggested that the HRDC may take steps forward to establish linkages with national and international organizations to increase its outreach beyond the geographical boundaries.


19/06/23

Prof. Sachchidanand Shukla
(Chairperson)

Vice-Chancellor

Pt. Ravishanker Shukla University
Raipur (C.G.)


19/06/2023

Prof. Preeti K. Suresh
(Member Secretary)

DIRECTOR

Human Resource Development Centre
Pt. Ravishanker Shukla University
RAIPUR-492010